मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 561/2018 वाद

GCMS No. – 2018/00571

1. गोर्धनलाल पिता ऊँकारलाल जी जाति कुम्हार उम्र 55 साल पेशा काश्त निवासी कृपाराम जी की खेडी तह० निम्बाहेडा राज०

2. श्रीमती कंकुबाई पत्नी गोरधनलाल जी जाति कुम्हार उम्र 52 साल पेशा काश्त निवासी कृपाराम जी की खेडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़

..वादीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत अरनियाजोशी पंचायत समिति निम्बाहेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अरनियाजोशी श्रीमती सुगणादेवी पत्नी विनोद धाकड आयु 43 साल निवासी टाई का खेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. ग्राम पंचायत अरनियाजोशी पंचायत समिति निम्बाहेडा जरिये सचिव, ग्राम पंचायत अरनियाजोशी तह० निम्बाहेडा राज०
3. राज० सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, चित्तौडगढ राज०
4. राज० सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज०
5. विनोद धाकड पिता श्रीकंवरलाल जी जाति धाकड निवासी टाई का खेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

...प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– अनिल पाटीदार – अधिवक्ता वादीगण

पत्रावली आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री अनिल पाटीदार की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम निपटारा हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–183,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं मोजा कृपाराम जी की खेडी प०ह०अरनियाजोशी तह० निम्बाहेडा की आराजी नं० 687/488 रकबा 0.5100 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि वह वादीगण की खातेदारी की आराजियात के किसी भी भू भाग पर अनाधिकृत रूप से किसी प्रकार से शवदाह संस्कार हेतु शमशान स्थल का निर्माण नहीं करें न करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादीगण को परेशानी हो । तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। निर्णय अनुसार पृथक से डिक्री मुर्तिब हो और पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 08.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:40:12 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा